

मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी में हैं, या नहीं?

अय्यर पुरजोर ढंग से दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं और सार्वजनिक रूप से वो जो भी कहते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार ही हैं

जेईई मेन्स सत्र-1 का परिणाम घोषित

नई दिल्ली, 16 फरवरी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 सत्र-1 (पेपर-1 बी.ई./बी.टेक.) का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। इस वर्ष कुल 12 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल (परफेक्ट एनटीए स्कोर) प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है।

एनटीए द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वालों में श्रेयस मिश्रा (दिल्ली एनसीटी), नरेन्द्रबाबुगारी माहिथ (आंध्र प्रदेश), सुभम कुमार (बिहार), कबीर छिल्लर (राजस्थान), चिरंजीव कर

12 अभ्यर्थियों को मिले 100 परसेंटाइल, इनमें सबसे ज्यादा 3 राजस्थान के।

(राजस्थान), भावेश पात्रा (ओडिशा), अनय जैन (हरियाणा), अर्णव गौतम (राजस्थान), पासला मोहित (आंध्र प्रदेश), माधव विरादिया (महाराष्ट्र), पुरोहित निमय (गुजरात) और विवान शरद माहेश्वरी (तेलंगाना) शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 100 परसेंटाइल लगभग शीर्ष अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) की गारंटी माना जाता है और इससे अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

योगी आदित्यनाथ, भाजपा के “मणिशंकर अय्यर” हैं?

योगी ने दिल्ली की सरकार, दिल्ली की नगर परिषद व केन्द्रीय सरकार को कठघरे में खड़ा किया, प्रदूषण के मुद्दे पर

-श्रीनंद झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नई दिल्ली को “गैस चेंबर” बताए जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इससे सत्तारूढ़ पार्टी को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हाल के दिनों में विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। विपक्ष ने जेफ्री एस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में उनके नाम का जिक्र होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई।

केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम - तीनों ही भाजपा सत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी भाजपा की ही है। ऐसे में दिल्ली के प्रदूषण पर योगी आदित्यनाथ की

योगी ने गोरखपुर में कहा कि दिल्ली एक गैस चेंबर बना हुआ है। प्रदूषण के कारण आँखें जलती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है तथा बच्चों, बुजुर्गों व अस्वस्थ प्राणियों को अधिकतम रूप से सलाह दी जा रही है कि घर पर ही बने रहें, घर से बाहर न निकलें, प्रदूषण के कारण।

योगी काफी कुछ सच कह रहे हैं, चाहे उनके शब्द, ज्यादा कर्णप्रिय नहीं हैं, भाजपा को। क्योंकि, गोरखपुर में गत रविवार को ए.क्यू.आई 97 था, जबकि दिल्ली की संध्यात कालोनी आनंद विहार में 239 था।

चर्चा यह है कि भाजपा गुजरात का विकास मॉडल खूब प्रचारित कर रही, पर, योगी प्रतिस्पर्धा में यूपी को प्रदूषण रहित स्वस्थ वातावरण वाले मॉडल के रूप में खड़ा कर रहे हैं। मोदी के बाद, सत्ता की दौड़ में अपने आपको अग्रणी रखने के लिए।

टिप्पणी को भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा माना जा रहा है। गोरखपुर में बोले हुए योगी ने कहा

बताया है, “दिल्ली जाना गैस चेंबर में जाने जैसा है। वहां हमें घुटन महसूस (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

‘शशि थरुर की नज़र विदेश मंत्री के पद पर है’

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अय्यर ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि कांग्रेस केरल में चुनाव नहीं जीतेगी

-जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 फरवरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शर्मिंदा कर दिया है। एनडीटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर विवादास्पद बयान दिए, जिनमें शशि थरुर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को “जितनी नफरत कम्युनिस्टों से है, उससे कहीं ज्यादा नफरत वे एक दूसरे से करते हैं”।

अय्यर का यह सनसनीखेज बयान,

अय्यर ने कहा कि केरल में वाम मोर्चा फिर से सत्ता में आएगी और पिनाराई विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने अय्यर के बयानों से दूरी बनाते हुए कहा कि अय्यर निजी हैंसियत से बात करते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।

उनके द्वारा केरल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता पिनाराई विजयन की हाल ही में की सराहना के बीच आया है, जिसमें उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वामपंथी नेता आगामी चुनावों के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे।

कांग्रेस ने अय्यर के बयान से खुद को अलग कर लिया है, और पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वे

व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए, अय्यर ने पवन खेड़ा को “कठपुतली” बताया और कहा कि वे पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। उन्होंने कहा, “वे पिछले दो सालों से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिल रहा है, तो उसका यही हाल रहेगा, जो इस समय है।”

‘एक्स’ में तकनीकी फॉल्ट

नई दिल्ली, 16 फरवरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स- (पहले ट्विटर) सोमवार शाम से अचानक से डाउन हो गया। भारत समेत कई देशों में यूजर्स ने शिकायत की कि वे न तो पोस्ट

दुनिया भर के लाखों यूजर्स परेशान।

देख पा रहे हैं और न ही नए अपडेट शेयर कर पा रहे हैं। भारत समेत दुनियाभर के लाखों यूजर एक्स के डाउन होने से परेशान हैं। डाउनडिटेक्टर डॉटकॉम के अनुसार, शाम 6 बजकर 53 मिनट पर 52 फीसदी ऐप यूजर्स को इस तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जबकि फ्रीड और टाइमलाइन अपलोडिंग में 21 फीसदी यूजर्स को परेशानी हो रही थी। इसके अलावा लगभग 17 फीसदी यूजर्स ने एक्स की वेबसाइट पर टेक्निकल दिक्कत की बात रिपोर्ट की है।

अब पुनः “उद्योग” की कानूनी परिभाषा निर्धारित होगी

सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नौ-सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करेगा

-जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 और उससे पहले के कानून के तहत, इंडस्ट्री की परिभाषा तय करने के लिए नौ जजों की संविधान पीठ बनाएगा।

संविधान पीठ 1975 में दिए गए सात जजों की पीठ के फैसले, बंगलूर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.) बनाम आर. राजपा की सही व्याख्या पर फैसला करेगी।

निर्णय लिया जाएगा कि क्या सरकारी विभागों या सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं को औद्योगिक गतिविधि माना जा सकता है? तथा राज्य की कौन-सी गतिविधियां इस कानून के दायरे में आएंगी और क्या ऐसी गतिविधियां इंडस्ट्री की परिभाषा से

1975 में सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय बेंच ने “इण्डस्ट्री” (उद्योग) की परिभाषा स्थापित की थी, पर, अब महसूस किया जा रहा है कि शायद 1975 में निर्धारित परिभाषा की सार्थकता का पुनः अवलोकन जरूरी हो गया है।

उदाहरण के लिए, सरकार की “सोशल वेलफेयर” गतिविधियां व योजनाएं उद्योग की परिभाषा में आती हैं क्या?

क्लबों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों को भी यूनियन बनाने व प्रबंधकों से सार्वजनिक “बारगेनिंग” करने का पूर्ण अधिकार है और कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना जायज है, “इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट” (औद्योगिक विवाद अधिनियम) के अन्तर्गत आदि, आदि।

बाहर मानी जाएंगी?

बीडब्ल्यूएसएसबी मामले में, कोर्ट ने यह तय करने के लिए तीन शर्तों वाला टेस्ट बनाया था कि कोई एन्टरप्राइज़

“इंडस्ट्री” की परिभाषा में आता है या नहीं और एन्टरप्राइज़ इस तरह उस पर लेबर कानून लागू होंगे या नहीं। फैसले में कहा गया था कि अगर कोई संस्था

नियमित रूप से काम करती है, उसमें नियोजता और कर्मचारी के बीच संगठित सहयोग होता है और वह लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या वितरण करती है, तो उसे इंडस्ट्री माना जाएगा।

इस फैसले के बाद क्लब, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे कई क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी श्रम कानूनों का लाभ मिलने लगा था, जिसमें यूनियन बनाने और सामूहिक बातचीत करने का अधिकार शामिल है।

जस्टिस संधु ने काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई से इंकार किया

जोधपुर, 16 फरवरी (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधु ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फाउल को किसी अन्य बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने

कोर्ट ने फाउल को किसी अन्य बेंच के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई दूसरी बेंच करेगी।

जानकारी के अनुसार, साल 1998 के इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील और राज्य सरकार की ओर से सह-आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दायर लीव दू अपील पर संयुक्त सुनवाई होनी थी। तकनीकी प्रक्रियाओं और बेंच बदलने के कारण अब इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में नया समय तय होगा।

इस केस में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम से कई बार पूछताछ की गई थी। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म “हम साथ साथ हैं” की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

भारत की सावलकोट हाइड्रो इलैक्ट्रिक योजना से पाकिस्तान में फैली घबराहट

पाकिस्तान के मीडिया में इस परियोजना को भारी कवरेज दिया जा रहा है और इसे उकसाने वाली हरकत बताया जा रहा है

-सुकुमार साह- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 फरवरी। चिनाब नदी पर बनी 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के औपचारिक शुभारंभ पर पाकिस्तान में तीव्र राजनीतिक और मीडिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जो जम्मू और कश्मीर में भारत के नवीनतम कदम के सामरिक महत्व को रेखांकित करती है।

घटनाक्रम की पहली रिपोर्ट सीएनएन न्यूज़-18 द्वारा की गई थी और इसे इंडस वॉटर ट्रीटी को निलंबित किए जाने के बाद भारत द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर कदम माना जा रहा है, एक ऐसा कदम, जो नदी जल प्रबंधन पर एक सख्त रुख की ओर इशारा करता है।

सावलकोट परियोजना के शुभारंभ को सीमा पार अधिक महत्व से देखा जा रहा है, इसे केवल एक सामान्य पावर-सेक्टर निर्णय से कहीं अधिक माना जा रहा है। पाकिस्तान के टेलीविजन नेटवर्क और प्रमुख समाचार पत्रों ने इस घोषणा को व्यापक कवरेज दी है, और इसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में पेश किया है। टिप्पणीकारों ने इसे कड़े शब्दों में बताया है, और आरोप लगाया है कि भारत का उद्देश्य डाउनस्ट्रीम जल प्रवाह को बदलना है। कुछ विशेषज्ञ पैतल इसे जल नियंत्रण के माध्यम से दबाव डालने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। इस्लामाबाद ने औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा, पाकिस्तान अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान के इंडस वॉटर कमिश्नर ने भारत में इंडस वॉटर कमिश्नर को चिट्ठी भेज कर विचार-विमर्श का आग्रह किया है।

इधर भारत का दावा है कि सावलकोट परियोजना नई नहीं है। इस जगह को सबसे पहले 1960 में चिन्हित किया गया था। फिर 1962-71 में जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका आकलन किया था।

वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट से पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर शुरुआत तो 60 के दशक में ही हो गई थी।

मंत्रालय ने इसे “गंभीर चिंता का विषय” बताते हुए 1960 की इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि भारत से विस्तृत तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजे गए हैं और यह मुद्दा स्थायी इंडस आयोग तंत्र के माध्यम से उठाया गया है। पाकिस्तान के इंडस जल आयुक्त ने हाल के महीनों में अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर, समझौते के तहत विचार-विमर्श की मांग की है।

नई दिल्ली ने हालांकि यह कहा है कि परियोजना पूरी तरह से भारत के कानूनी और संप्रभु अधिकारों के तहत आती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े

निर्णय भारत के अपने अधिकारों के मूल्यांकन और व्याख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सावलकोट एक “रन-ऑफ-द-रिवर” जलविद्युत योजना” के रूप में संरचित है, एक श्रेणी, जिसे इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है और इसमें चेनाब बेसिन के बाहर जल परिवहन शामिल नहीं है।

इस कदम की गंभीरता इसके पैमाने और समय, दोनों बातों में निहित है और 1,856 मेगावाट क्षमता के साथ, सावलकोट चेनाब प्रणाली पर सबसे बड़े जलविद्युत संसाधनों में से एक होगा, जो जम्मू और कश्मीर में नदी प्रवाह का दोहन करने की भारत की (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)